गये उन चार कर्मचारियों के संबंध में ब्यौरा क्या है और किन-किन विद्यालयों में तथा किन-किन तिथियों में उनका स्थानान्तरण किया गया;

(ख) क्या उन सभी कर्मचारियों ने उन विद्यालयों में अपना-अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया जिनमें उनका स्थानान्तरण किया गया था तथा किन-किन तिथियों में उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया;

(ग) क्या वे लोग उन्हीं विद्यालयों में पदस्थापित हैं जिनमें उनका स्थानान्तरण जांच प्रतिवेदन के आधार पर किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी पदस्थापन के स्थान में किये गये परिवर्तन संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (घ) प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर स्थानान्तरित किए गए चार कर्मचारियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

क्र० सं०	नाम और पदनाम	केन्द्रीय विद्यालय में स्थानान्तरित	स्थानान्तरण आदेश की तारीख	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री एम०एस० शर्मा अधीक्षक	नं० 1 भोपाल	16.4.96	24.6.96
2.	श्री गोपाल कटियाल प्रवर श्रेणी लिपिक	नारनौल	16.4.96	26.10.96 कार्यभार मुक्त
3.	श्री दिनेश सिंह अवर श्रेणी लिपिक संशोधित	पी०एल० मेरठ	16.4.96	—
		तुगलकाबाद	24.5.96	28.5.96
4.	श्री आजाद सिंह शारीरिक शिक्षा अध्यापक संशोधित	ए०एफ०एस० जांदीनगर	16.4.96	—
		ए०एफ०एस० हिंडन	24.5.96	24.6.96

उड़ीसा में भुखमरी से होने वाली मौतें

3055. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 नवम्बर, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "12 स्टार्वेशन डैथ्स इन उड़ीसा अलैज्ड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उड़ीसा में पिछले कुछ महीनों के दौरान भुखमरी के कारण हुई मौतों के और मामले सामने आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कारण की वजह से हुई मौतों के विषय में सरकार का आकलन क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, संबंधित जिलों के जिलाधीशों द्वारा इस संबंध में की गई जांच में भुखमरी के कारण मौत होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तथापि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इसके बारे में जांच पड़ताल करने का अनुरोध किया गया है।

स्कूली बच्चों के लिए खाने के बंद पैकेट देने की योजना

3056. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में पका कर खाना प्रदान करने की वर्तमान योजना के स्थान पर भोजन के बंद पैकेट प्रदान करने की योजना स्वीकार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की गई है तथा कब से कार्यान्वित की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान में भोजन पका

कर दिये जाने के कारण स्कूल का समय नष्ट होता है तथा बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए किये गये अध्ययन तथा उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत इस समय केवल छह राज्य और एक संघशासित प्रदेश गर्म पका हुआ भोजन प्रदान कर रहे हैं। इस विभाग का विचार है कि इस योजना के अन्तर्गत पका हुआ भोजन प्रदान करने के लिए शिक्षकों को भाग नहीं लेना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए दिशा-निर्देशों में, गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदान की गई निधि में से रसोइए के रूप में लगे व्यक्तियों के वेतन के भुगतान के लिए प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ऐसे भुगतानों को सम्मिलित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

Facilities at Ernakulam North Railway Station

3057. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the facilities at Ernakulam North railway station are inadequate; and

(b) if so, the steps taken to improve the facilities including the expansion of Building and Platform II?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Facilities at stations are provided according to norms based on the volume of traffic handled. Facilities commensurate with the volume of traffic has already been provided at Ernakulam Town station.

(b) Does not arise. There is no proposal for expansion of station building at present. Extension of shelter on platform No 2 was completed recently.

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु उपाय

3058. **श्री इकबाल सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने, उन्हें रोजगार दिलाने तथा उनमें व्याप्त निर्धनता को कम करने के लिए अब तक क्या-क्या प्रभावी उपाय किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ वर्ष 1996-97 के बजट में कोई धनराशि आवंटित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई): (क) से (ग) भारत सरकार अन्य लोगों के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनमें व्याप्त निर्धनता को कम करने के लिए निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम चला रही है:—

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	बजट प्राक्कलन (1996-97)
1.	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों में कम से कम 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।	639.85
2.	जवाहर रोजगार योजना इस योजना के तहत कम से कम 30 प्रतिशत रोजगार महिलाओं को दिये जाते हैं।	1865.00
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास	65.00
4.	महिला समृद्धि योजना	60.00
5.	स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण	14.00
6.	प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम सहायता हेतु	16.00
7.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	6.00